SPICES BOARD
(Ministry of Commerce and Industry
Government of India)
Sugandha Bhavan
N.H. By-pass
P.B. No. 2277
Palarivattom P.O.
Cochin - 682 025, India

स्पाइसेस बोर्ड
(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,
भारत सरकार)
सुगन्ध भवन
एन. एच. बाइपास
पी. बी. नं. 2277
पालारिवट्टम पी.ओ.
कोचिन - 682 025, भारत

प्रचार-प्रद.-घरेलू/0041/2022-प्रचार **28 जुलाई 2022**

परिपत्र

विषय: सितंबर **2022** महीने के दौरान घरेलू प्रदर्शनियों में स्पाइसेस बोर्ड की सहभागिता-बाबत.

***

स्पाइसेस बोर्ड, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार निम्नलिखित घरेलू इवेंटों में भाग ले रहा है; और बोर्ड के स्टाल में पंजीकृत मसाला निर्यातकों की सहभागीदारी आमंत्रित कर रहा है। बोर्ड निर्यातकों के लिए सामान्य क्षेत्र सहभागिता प्रदान करता है। प्रत्येक निर्यातक/कृषक को बोर्ड के पवलियन में भंडारण सुविधा के साथ एक ग्लास काउंटर टेबल, प्रावरणी, ब्रांडिंग विकल्प और दो कुर्सियाँ आबंटित किया जाएगा।

क्रमांक	**इवेंट का नाम**	**इवेंट स्थान**	**तारीख**	**बुक किया क्षेत्र**	**उपलब्ध स्लोटों की संख्या**	**सहभागिता शुल्क(जीएसटी सहित)**
1.	बायोफैक इंडिया 2022 (अनन्यत: जैविक प्रमाणन वाले निर्यातकों के लिए)	आईईएमएल, ग्रेटर नोइडा, दिल्ली-एनसीआर	सितंबर 1 - 3, 2022	42 वर्ग मीटर	10	29,500/- रू.
2.	अन्नपूर्णा-अनुफूड इंडिया 2022	बॉम्बे एक्सिबिषन सेंटेर, मुंबई, महाराष्ट्र	सितंबर 14-16, 2022	48 वर्ग मीटर	10	29,500/- रू.
3.	फै है इंडिया 2022	बैंगलोर इंटरनैशनल एक्सिबिषन सेंटेर (बीआईईसी), बेंगलुरु, कर्नाटक	सितंबर 21-23, 2022	49 वर्ग मीटर	10	29,500/- रू.

सहभागीदारी के लिए अनिवार्य शर्तें :

1. आवेदक को एक वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र होना चाहिए।
2. तिमाही निर्यात विवरणी समय पर प्रस्तुत करने पर ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।
3. बायोफैक इन्डिया में सहभागिता के लिए आवेदक को वैध जैविक प्रमाणीकरण होना चाहिए।

आवेदकों का चयन:

1. पहली बार जानेवाले सहभागियों, उत्तरपूर्व क्षेत्र के मसाला निर्यातकों और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के निर्यातकों को तरजीह दी जाएगी।
2. आवेदन राज्य वार विचार किया जाएगा और 'पहले आओ पहले पाओ' आधार पर सूची तैयार की जाएगी।
3. आवेदन की प्रस्तुति स्थान के आबंटन की गारंटी नहीं देता है। स्थान का आबंटन उपलब्धता के अधीन है।
4. बोर्ड के पास सहभागीदारी के निबंधन और शर्तों में आवश्यक बदलाव लाने का अधिकार है। स्थान का आबंटन और सहभागीदारी से संबंधित सभी मामलों में बोर्ड का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

सहभागिता शुल्क का भुगतान एनईएफटी के माध्यम से स्पाइसेस बोर्ड के खाते में 05 अगस्त 2022 तक किया जाएगा
<u>एनईएफटी भुगतान के लिए खाता विवरण:</u>

खाता संख्या - 7176002100002354
खाता नाम – स्पाइसेस बोर्ड रेसिप्ट
बैंक का नाम – पंजाब नैशनल बैंक
शाखा- वेन्नला, कोच्ची
आईएफएस कोड - PUNB0717600

उपरोक्त समय अवधि के भीतर सहभागीदारी शुल्क की प्राप्ति होने पर ही सहभागिता पुष्टि ई-मेल पर विचार किया जाएगा। *<u>एक बार बोर्ड द्वारा जवाबी ई-मेल के माध्यम से सहभागिता की पुष्टि की जाती है तो प्रेषण किए सहभागिता शुल्क वापस नहीं दिया जाएगा।</u>* समय सीमा तिथि के बाद ही सहभागिता पुष्टि की घोषणा की जाएगी। यदि कंपनी/फर्म को स्थान आबंटित नहीं किया जाता है, तो एकत्रित सहभागिता शुल्क वापस कर दिया जाएगा। सहभागिता पुष्टि ई-मेल में निम्नलिखित दस्तावेज़ एवं विवरण शामिल होंगे।

क. कंपनी का नाम (सीआरईएस के अनुसार) एवं फोन और ई-मेल के साथ पूरा पता:
ख. मसाले का निर्यातक के रूप में पंजीकरण संख्या:
ग. मसाला निर्यातक के रूप में प्रमाणपत्र (सीआरईएस प्रतिलिपि संलग्न करें)
घ. जैविक मसाला निर्यातक के रूप में प्रमाणपत्र (बायोफैक इंडिया के लिए)
ङ. इवेंट में उपस्थित होने वाले कंपनी प्रतिनिधी (प्रतिनिधियों) का नाम, पदनाम, ई-मेल आईडी एवं मोबाईल नंबर
च. भुगतान के यूटीआर विवरण (रसीद की प्रतिलिपि संलग्न करें)

इच्छुक निर्यातक 05 अगस्त 2022 को या उससे पहले निम्नलिखित फार्मेट में उपरोक्त दस्तावेज़ों के साथ publicity.sb-ker@gov.in को ई-मेल द्वारा और prathyush.tp@nic.in को प्रतिलिपि भेज के अपनी सहभागिता की पुष्टि करेगा;

कंपनी कानाम (सीआरईएस के अनुसार)	सीआरईएस पंजीकरण संख्या	पता	कंपनी प्रतिनिधियों का नाम एवं पदनाम	मेबाईल नंबर	भाग लेने के इच्छुक मेला (ले) का नाम
					1. 2. 3.

कृपया ध्यान दें कि बोर्ड के स्टाल के माध्यम से केवल मसाले एवं मसाला उत्पादों का प्रदर्शन एवं संवर्धन की अनुमति दी जाएगी। बायोफैक □डिया के मामले में, प्रमाणित जैविक मसाले एवं समाला उत्पादों का प्रदर्शन एवं संवर्धन की अनुमति दी जाएगी। निर्यातकों से उच्च माँग और स्लोटों की सीमित उपलब्धता के कारण, यदि एक कंपनी को स्लोट आबंटित किया जाता है; अतिरिक्त स्टालें की आबंटन के लिए उसके सहोदर संस्था/ग्रूप कंपनियों को अन्य तीसरे पक्ष के कंपनियों से **कम** प्राथमिकता दी जाएगी। बोर्ड के पास सहभागीदारी के निबंधन और शर्तों पर आवश्यक बदलाव लाने का अधिकार है। स्थान का आबंटन और सहभागीदारी से संबंधित सभी मामलों में स्पाइसेस बोर्ड का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। बोर्ड अपने स्टाल में ही सहभागीदारी की व्यवस्था करेगा।

स्थान: कोच्ची **[निदशाक] [विपणन]**